

क) पत्र 21

उपरखण्डाधिकारी

बाडी (धौलपुर) राज

3-10-18 आज पत्रावली सापलान के प्रार्थना पत्र पर पत्रा हुई। सापलान

अपना मूल वाड प्रार्थना पत्र आर्डि 23 (बल। C.P.C के तहत
विद्रा कर लिया है। जब मूल वाड ही विद्रा हो चुका है तो

प्रार्थना पत्र 212 R.T.A का चलाने जाने का कोई औचित्य नहीं
है अतः प्रार्थना पत्र 212 R.T.A में जारी शुद्ध न. 9 दिनांक

7-9-18 जारी किया जाता है पत्रावली मूल वाड शुद्ध दिनांक
जारी करेगा। सापलान के प्रार्थना पत्र मूल वाड
के साथ मालजव रहे। नमक न कर है।

3-10-18

उपरखण्डाधिकारी

बाडी (धौलपुर) राज